Alleged gang-rape of women in Banda District of Uttar Pradesh

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं आपका और सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और जब मैं इसके लिये खड़ा हुआ हूं तो महोदया, जिस घटना का मैं उल्लेख कर रहा हूं उससे हमारा माथा शर्म से झुक जाता है और इससे एक बहुत आंतरिक वेदना भी पहुंच रही है कि आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है । महोदया, इस सरकार के समय में, जो अब वहां बी०जे०पी० की सरकार है, जिस तरह की अमानवीय, पैशाचिक और लोमहर्षक घटनायें घट रही हैं वह बहुत ही चिंता का विषय बन गया है ।

महोदया, उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में मानकपुर ब्लाक, थाना बदिलपुरवा, ग्राम गस्देलहा में कोली जाति के 23 परिवार रहते हैं । 27/28 फरवरी की रात की शाम को कुछ अवांछनीय तत्व उस गांव में पहुंचते हैं और पहुंच कर इतना भय और आतंक का वातावरण पैदा करते हैं कि वहां के पुरुष घर छोड़कर भाग जाते हैं । महिलाओं को पकड़कर बाहर लाया जाता है और उसके बाद उन लोगों ने एक पैशाचिक, बहुत ही अमानवीय कृत्य सामूहिक रूप से वहां की महिलाओं के साथ किया । इतनी वीभत्स और शर्मनाक घटना के बाद भी थाने की पुलिस और जिले का प्रशासन आजतक कुछ नहीं कर सका । गांव में इतना भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है कि उस गांव में कोई पुरुष और दूसरे लोग रहने के लिये तैयार नहीं हैं । इतनी बड़ी घटना घट जाती है लेकिन उस आतंक के कारण कोई भी थाने में रिपोर्ट कराने के लिए नहीं जाता है । जब समाचार पत्रों में इस घटना का प्रकाशन होता है और प्रकाशन होने के बाद जब समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि उस गांव में पहुंचते हैं तो महोदया, स्थिति विचित्र हो जाती है । पुलिस के लोगों ने उस गांव में जाकर लोगों से कहा कि अगर कोई अखबारी आता है तो इस घटना की चर्चा उनके सामने न की जाय, यह चर्चा उनके सामने नहीं होनी चाहिये। मैं आपके माध्यम से इस घटना की निंदा तो करता ही हूं लेकिन साथ ही साथ एक बात आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटनायें जो हम हरिजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और महिलाओं के साथ वहां होती हैं और उनसे जिस तरह से प्रदेश की सरकार निपट रही है, अभी पिछले दिनों लखीमपुर खीरी की घटना सबके सामने आई थी, जो कि इस सदन में भी बहुत ही चर्चा का विषय बनी थी और सरकार ने उस पर वक्तव्य भी दिया था । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, रिपोर्ट दर्ज नहीं की और सारी घटना पर पर्दा डालने की कोशिश की है और इस तरह के अमानवीय कृत्य को छिपाने की भरसक कोशिश की है, इससे बड़ी निंदनीय बात और कोई नहीं हो सकती है । इसलिये मैं चाहता हूं कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि रिपोर्ट दर्ज की जाय और जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय तथा जो वहां के स्थानीय पुलिस प्रभारी है उनको निलंबित किया जाय । साथ ही साथ महोदया मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश करें, गृह मंत्री जी इस समय यहां नहीं हैं, कि सरकार इस सदन को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करके अवगत कराये और केवल अवगत ही न कराये बल्कि उन लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाये जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने, जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इस वीभत्स और शर्मनाक घटना को छिपाने का काम किया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि गांवों में जो आतंकवाद व्याप्त है आखिर वह कैसे गांव में रह पायेंगे । पुलिस जब इस तरह से घटनाओं को छिपाना चाहती है तो वहां पर पी० ए० सी० की तैनाती की जाए, सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और सरकार निश्चित रूप से सारी घटना के बारे में जानकारी कर के इस सदन को अवगत कराए । यह मैं आपके माध्यम से सरकार क

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उपसभापति महोदया, यह महिला का सवाल है, नारी का सवाल है और सामूहिक रूप से सवाल है, इन्सानियत का सवाल है, मानवता का सवाल है । यह जो पैशाचिक कार्य हुआ है, इसके विषय में सरकार अपने वक्तव्य के साथ सदन में आए और सारी बातों तथा घटनाओं से सदन को अवगत कराए । आप सरकार को यह निर्देश दें कि इस मामले पर सरकार अवश्य वक्तव्य दे । अगर इस तरह की घटनायें होती रहीं और आपका संरक्षण नहीं मिला ... (व्यवधान)

उपसभापति : आप जब बैठेंगे तो मैं कुछ बोलूंगी ।

श्री राम नरेश यादव : आपने मुझे जो समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री सैयद सिब्ते रजी (उत्तर प्रदेश) : मैं भी राम नरेश यादव जी का समर्थन करता हूं क्योंकि यह बहुत सीरियस इश्यू है ।

उपसभापति : यहां ह्यूमैन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर बैठे हैं । महिला का जो विषय है, वह इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है । यहां महिला के विषय पर चर्चा हो रही है । मंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब जी जो वक्तव्य देंगे या मालूमात करेंगे मगर आपने महिला आयोग का नया गठन किया है आप उसके अंतर्गत इस पर भी कुछ ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि ठीक रहेगा । इस तरह की घटनाओं पर रोज हाउस में चर्चा होती है ।

माननीय संसदीय विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : आपके आदेश को पूरी तरह से ध्यान में रखकर कार्यवाही की जाएगी ।

Delay in setting up of development boards in Maharashtra

श्री नरेश पुगलिया (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदया, महाराष्ट्र के बार बार डेवलपमेंट बोर्ड की मांग इस सदन में तथा लोक सभा में पिछले कई सालों से आ रही है । उपसभापति महोदय, आप भी महाराष्ट्र से आती हैं । यह मसला कितना गम्भीर है आप भी यह जानती हैं । माननीय चेयरमैन साहब और आपने हमेशा इस मसले के लिए हमारी मदद की है । लेकिन दुख की बात यह है कि बार बार यह मसला यहां आने के बावजूद भी आज तक इस मसले का हल नहीं हुआ । है ।हम लोग महाराष्ट्र के बैकवर्ड रीजन विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण के लिए संविधान के आर्टिकल 371(2) के तहत डेवलपमेंट बोर्ड चाहते हैं । महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, एडवांस स्टेट है । डेवलपमेंट करते समय महाराष्ट्र के एक पर्टिकुलर रीजन का, हिस्से का इतना विकास हुआ है जहां की पर-केपिटा इनकम 6500 रुपये है लेकिन जो बैकवर्ड रीजन विदर्भ, मराठवाड़ा कोंकण हैं यहां की पर-केपिटा इनकम 1300 रुपये है । यह आंकड़े महाराष्ट्र सरकार के दिये हैं जिनके अनुसार महाराष्ट्र के एक पर्टिकुलर भाग में पर-केपिटा इनकम 6500 रुपये है और बैकवर्ड भाग में 1300 रुपये है । यह एक डिसपेरिटी है जिसकी वजह से विदर्भ, मराठवाड़ा क्षेत्रों में नक्सलवादी एक्टीविटीज बढ़ती जा रही है । इसका एक कारण यह है कि डेवलपमेंट के अन्दर इस भाग की जनता के साथ पिछले 30 सालों में काफी अन्याय हुआ है । मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से कहना चाहूंगा कि इस पर विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी सरकार ने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि हम डेवलमेंट बोर्ड का गठन करेंगे लेकिन यह केवल घोषणा ही रही और इम्पलीमेंट नहीं हुई । पिछली लोकसभा के चुनावों में हमारे नेता स्वर्गीय राजीव जी ने अपने चुनाव कैम्पेन के दौरान नागपुर की एक सभा में यह कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो मेरी सरकार इस बोर्ड का गठन जरूर करेगी । हमारे स्वर्गीय नेता ने जो पब्लिकली कमिटमेंट दिया है यह कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इसको जल्दी से जल्दी इम्पलीमेंट करे । महाराष्ट्र में जो हमारे सुधाकर नायक जी लोकप्रिय मुख्य मंत्री हैं वे विदर्भ के बैकवर्ड रीजन से आते हैं मुख्य मंत्री जी ने भी साफ कहा है क्योंकि कई बार बहाने निकले हैं कि अगर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन हो जाएगा तो राज्य सरकार के अधिकार कम हो जाएंगे, चुनी हुई असेम्बली के अधिकार कम हो जाएंगे, गवर्नर के अधिकार बढ़ जाएंगे ।

इसमें न तो गवर्नर के अधिकार बढ़ते हैं